उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास अनुभाग-2
संख्या-27 /2021 /871(2)/53-2-2021-2(44)/15
लखनऊ: दिनांक 06 अक्टूबर, 2021

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2021-22 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश(जिला योजना) योजनान्तर्गत अनुदान, (अनु0सं0-16) में प्राविधानित धनराशि रू0 464.10 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 77.35 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या- 24 /2021 /871/53-2-2021-2(44)/15, दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 द्वारा निर्गत की गयी है। जिसमें अंकित है कि :-

'' उर्पयुक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखाशीर्षक-'2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-03-दुग्ध विकास कार्यक्रम -0301- दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश (जिला योजना) -20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा। ''

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 में उक्त के स्थान पर निम्नवत पढ़ा जायेगा:-

'' उर्पयुक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखाशीर्षक-'2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-03-दुग्ध विकास कार्यक्रम -0301- दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश (जिला योजना) -20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा। ''

3- शासनादेश संख्या-24 /2021 /871/53-2-2021-2(44)/15, दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

(रविशंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या- 27/2021 /871(3)/53-2-2021-2(44)/15, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम), उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार- लेखा परीक्षा (प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन-15 थार्नहिल रोड प्रयागराज।
4. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0, जवाहर भवन
5. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 लि0, 29 पार्क रोड़, लखनऊ।
6. संबन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. संबन्धित जिलाधिकारी।
8. संबन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 ।
9. संबन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी उ0प्र0।
10- वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
11. संबन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
12. संबन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/ उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग उ0प्र0।
13. मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्याप्रभाग, उ0प्र0।
14. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनु0-1/नियोजन अनु-3/ राज्य योजना आयोग-3,उ0 प्र0 शासन।
15. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।